

## पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 09.01.2018

आर्म्स एक्ट मे एक मुल्जिम गिरफतार, अब तक  
3 व्यक्ति गिरफतार तीन मुकदमे दर्ज



पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर राजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आईपीएस वृत्त दक्षिण नगर अजमेर के कुशल नेतृत्व व थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे मुकेश कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा संतकंवर राम स्कूल के पास अजमेर पर मुल्जिम अमृत पुत्र मुकनाराम जाति सांसी उम्र 20 साल निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से बिना लाईसेंस के अवैध रूप से निर्धारित नाप से लंबा एक धारदार चाकू पाया जाने पर धारदार चाकू को जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार किया जाकर मुल्जिम के विरुद्ध मुकदमा नं 09/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज किया गया।

थाना पर इस माह अब तक अवैध धारदार हथियार रखने वाले तीन मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाकर तीन अवैध धारदार हथियार जप्त किये जा चुके हैं।

## सटटे की खाईवाली करता हुआ मुल्जिम गिरफ्तार, अब तक जुआ अधिनियम में तीन मुकदमें दर्ज

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर राजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आईपीएस वृत्त दक्षिण नगर अजमेर के कुशल नेतृत्व व थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन आज दिनांक 09.01.18 को युनुस अली उनि मय जाप्ता द्वारा जौसगंज फाटक के पास अजमेर पर दबीश देकर मौके पर सटटे की खाईवाली कर रहे मुल्जिम लोकेश सिंह पुत्र दुर्गा सिंह जाति कोली उम्र 28 साल निवासी गौतमनगर रोजमेल प्रेस के पास थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से जुआ सटटा राशी 400 रु जप्त कर मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाकर मुकदमा नंबर 10/18 धारा 13 आरपीजीओ में दर्ज किया गया। अब तक माह के दौरान थाना पर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलना/सटटे की खाईवाली करने वाले मुल्जिमानों के विरुद्ध तीन मुकदमें आरपीजीओ अधिनियम में दर्ज किये जा चुके हैं। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम में अब तक माह के दौरान थाना हाजा पर तीन मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाकर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम में तीन मुकदमें दर्ज किये जा चुके हैं।

एक गिरफ्तारी वारण्टी गिरफ्तार, अब तक 7 स्थायी वारंटी व 13  
गिरफ्तारी वारंटियों की गिरफ्तारी/तामील

पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर राजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आईपीएस वृत्त दक्षिण नगर अजमेर के कुशल नेतृत्व में पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफ्तारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 09.01.18 को गिरफ्तारी वारंटी प्रवीण कुमार पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 59 साल निवासी म0न0 442/27 चौडी गली जौसगंज पुलिस थाना रामगंज अजमेर को न्यायालय जेएम नं. 04 अजमेर से कोर्ट केश नं. 1026/17 में जारी गिरफ्तार किया गया। अब तक माह के दौरान थाना हाजा पर 7 स्थायी वारंटी व 13 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार/तामील किया गया।

3 व्यक्ति शांती व्यवस्था भंग करने पर गिरफ्तार,  
अब तक समाज कंटक/बदमाशन व्यक्तियों के  
खिलाफ कार्यवाही में 34 व्यक्ति गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज में आगामी लोकसभा उप चुनाव को मध्यनजर रखते हुये एवं शांती व्यवस्था भंग करने पर आज दिनांक 09.01.18 को 1- मनोज पुत्र श्री दिलीप जाति सांसी उम्र 25 साल निवासी पुरानी चांदमारी पहाडगंज थाना रामगंज अजमेर 2- रमेश उर्फ टिकू पुत्र सुगनचंद जाति सांसी लबाना बस्ती पहाडगंज अजमेर 3- कालू उर्फ कान्हा पुत्र श्री चमन सांसी निवासी पुरानी चांदमारी पहाडगंज थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ में गिरफ्तार किया गया। अब तक माह के दौरान समाज

कंटक/बदमाश व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही में 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तरह अब तक थाना हाजा पर कुल 5 इस्तगासे में 13 व्यक्तियों को थाना हाजा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु माह के दौरान पाबंद करवाया जा चुका है। अब तक 23 वाहनो को धारा 185 एमवी एक्ट में एवं 17 वाहनो को धारा 207 एमवी एक्ट में जप्त किया जाकर एमवी एक्ट की अन्य धाराओं में 66 वाहनो के चालान बनाये गये। अब तक माह के दौरान पूर्व में बदमाशन व्यक्तियों के खिलाफ पाबंद की कार्यवाही में 07 अपराधियों को धारा 110 सीआरपीसी के तहत पाबंद करवाया जा चुका है।

### लोक सभा उप चुनाव को मध्य नजर रखते हुये 13 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही।

पुलिस थाना क्लॉक टावर में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर राजेन्द्र सिंह के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 09.01.18 को सहायक पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आई.पी.एस. वृत्त (दक्षिण) अजमेर के निर्देशन में थानाधिकारी रामअवतार पु. नि. के नेतृत्व में थाना हाजा स्तर पर टीम का गठन कर स्थायी वारण्टी 01.आनन्द कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी भांग बावडी रावण की बगीची अजमेर व दो गिरफ्तारी वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया जाकर निस्तारण किया गया व लोक सभा उप चुनाव को मध्य नजर रखते हुये आपराधिक, बदमाश प्रवृत्ति के 10 व्यक्तियों को शांति भंग कर लडाई झगडा करते हुये को धारा 151 सी आर पी सी में गिरफ्तार किये गये व 09 व्यक्ति 60 पुलिस एक्ट व 110 सी आर पी सी में 01 व एम.वी.एक्ट के तहत 10 कार्यवाही की गयी। अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

# अवैध शराब सहित एक आरोपी

## गिरफ्तार

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार चलाये गये अभियान के तहत थानाधिकारी अधिकारी, थाना अलवर गेट, अजमेर विषय प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने चान्दसिंह मय जगराम बाबूलाल के मय अनुसंधान बॉक्स मय व्यक्तिगत लेपटाप मय प्राईवेट वाहन के इलाका गश्त व जुरायम कन्ट्रोल हेतु चौकी नारेली से रवाना होकर गश्त करते हुए नारेली तिराया के पर पहुंचे जहां पर मुखबीर खास ने मन हैड कानि को सूचना दी कि एक व्यक्ति राजू ईट भट्टे के पास झाडियों कि आड मे पीले कटटे मे शराब के पव्वे बैच रहा है तुरन्त पकडा जावे तो भारी मात्रा में शराब बरामद हो सकती है, आदि इत्तला विश्वसनीय होने से हमराही जाप्ते को इत्तला से अवगत कराकर जगराम को दो स्वतंत्र गवाह मामूर कर लाने हेतु रवाना किया जिसने कुछ समय पश्चात वापस आकर बताया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में तथा स्थानीय मामला होने के कारण कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं है जिस पर हमराही जाप्ता में से जगराम बाबूलाल को ही गवाह मामूर कर नारेली चौराहा सामने से रवाना होकर राजू ईट भट्टे के पास नारेली अजमेर पहुंचे जहां से बताये हुलिये का एक व्यक्ति नजर आया जो हाथ मे पीला कटटा लिये खडा था जिसे बीट जगराम ने पहचान कर उसकी और हाथ का इशारा कर बताया कि वो शैतान गुर्जर पुत्र भोलू निवासी भट्टे के पास नारेली का रहने वाला है जैसे ही मन हैड कानि मय पुलिस जाप्ता के उसकी और मुडे तो वह एक दम पुलिस जाप्ता को देखकर कटटा छोडकर झाडियों मे भागने लगा जिसका पीछा हैड कानि व हमराह मुलाजमानो ने किया तो वह नही मिला

जिस पर हैड कानि ने हमराह मुलाजमानो के समक्ष पीले कटटे चेक किया तो कटटे मे 50 पव्वे देशी मदिरा सादा 40 यूपी 180 एम. एल. मिले जिस पर 180 एमएल लेवल जिसके लाल ढक्कन पर हिन्दी मे राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. लिखा हुआ कुल 50 पव्वे प्रत्येक पर लाल ढक्कन पर हिन्दी मे राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. लिखा हुआ पाया शैतान गुर्जर पुत्र भोलू निवासी भट्टे के पास नारेली का इस तरह पुलिस जाप्ते को देखकर भागने मे सफल होना व बिना लाईसेन्से व परमिट के अपने कब्जे मे इतनी मात्रा में शराब रखकर बैचना अपराध धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम 1950 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त शराब को बतौर वजह सबूत जरिये फर्ड जप्ती के जप्त कर कब्जे पुलिस में लिया जाकर शराब के 50 पव्वों मे से देशी मदिरा सादा जिनमे से एक पव्वा रासायनिक परीक्षण हेतु निकाल कर नमूना सैम्पल शिल्ड मोहर कर नमूना सैम्पूल पर मार्का । व शेष 49 पव्वों को पीला प्लास्टीक के कटटे में रखकर मार्का ठ अकित किया व फर्ड पर नमूना शील अकित की जाकर शीलड मोहर कर चिट चेपा किया गया मोके की कार्यवाही कर हैड कानि मय जाप्ता मय फर्ड जप्ती शराब जप्त शुदा शराब नमूना सैम्पल मार्का । अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर कार्यवाही पुलिस थाना अलवर गेट जिला अजमेर आदि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 21/18 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में दर्ज कर अनुसंधान सुरेन्द्र सिंह के जुम्मे कर प्रकरण का अनुसंधान आरम्भ किया •या।

## शांती भंग के आरोप में 65

### आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना सरवाड में 1 जुमन पुत्र भाकर हुसैन निवासी आसापुर जिला वाराणसी युपी, 2 रहमान मुल्ला पुत्र शब्बीर निवासी हनुमन्तवाडी जिला बीदर कर्नाटका 3 मोहम्मद शाबीर पुत्र मोहम्मद अली निवासी शनीचरजी का नाला जयपुर, 4 मोहम्मद नुर इस्लाम पुत्र अब्दुल सम्मद निवासी सरवाड जिला अजमेर, 5 मोहम्मद ईन्तीयाज पुत्र मस्तफा निवासी मजाडी जिला भगवा, 6 गुड्डु पुत्र फरियाद निवासी टाटोटी थाना भ्नाय जिला अजमेर, 7 मुराद अली पुत्रअल्लादीन अंसारी हाथखाल बलघट्टा गोरखपुर, 8 मोहम्मद सगीर पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी कलकता दरगाह बाजार , 9 नासीर पुत्र रहमान निवासी सामीना जिला लखनउ, 10 सहीद अब्दुल कादीर पुत्र रसुल खान निवासी भील बस्ती सरवाड, 11 शेख अबदुल करीम पुत्र अहमद खां निवासी नाथ मोहल्ला सरवाड जिला अजमेर, 12 नादीर पुत्र नुर मोहम्मद निवासी मल्लार की घांटी महाराष्ट्र, 13 खली कुन्जबा पुत्र सद्दीक बकसावा निवासी बिहार, 14 मोहम्मद अनीफ पुत्र ईदरीस निवासी बाराबंकी लखनउ, 15 मोहम्मद सुल्तान पुत्र बाबु शेख निवासी कल्याण बोम्बे, 16 मुशीराम पुत्र बोजीराम जाति जाट निवासी दिल्ली, 17 मोहम्मद सकील पुत्र हक्कीमुद्दीन निवासी मामुसाहब की दरगाह सरवाड, 18 मोहम्मद ईलियास पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी रानीगंज युपी, 19 मोहम्मद सागीर पुत्र जहीरनिवासी सरवाड जिला अजमेर , 20 दरियाव शेख पुत्र नारायण शेख जाति ठाकुर निवासी करोल बाग नई दिल्ली , 21 मोहम्मद बच्चु शेख पुत्रजमाल शेख निवासी सरवाड जिला अजमेर, 22 रिहाज उल्लशेख पुत्र जान मोहम्मद निवासी हरिकिशनपुर वेस्ट बंगाल , 23 दादा हकीम अली पुत्र रुखमान दादा ठाकुर निवासी सरवाड जिला अजमेर, 24 असलम शेख पुत्र सलीम शेख सन्तोषपुर , 25 श्रीमति यासमीन पत्नि मोहम्मद निवासी भागलपुर बिहार, 26 श्री मति सहाराबानो पत्नि महमुदखा निवासी राजा मण्डी आगरा युपी, 27 श्रीमति सरवरीदेवी पत्नि समसाद जाति मुस्लमान निवासी मज्जफरनगर युपी, 28 अंगुरी बेगम पत्नि सलीम शेख

निवासी सन्तोषपुर पश्चिम बंगाल, 29 अब्बास मुहम्मद पुत्र मोहम्मद निवासी राणपुर जिला अहमदाबाद गुजरात, 30 अत्ताउल्ला पुत्र इनामउल्ला निवासी हरिद्वार, 31 कय्युम मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी अजमेर, 32 परवेज आलम पुत्र अली हसन निवासी बनारस युपी, 33 कालु पुत्र अनवर शेख निवासी टांटोटी भिनाय जिला अजमेर, 34 अब्दुल रहमान पुत्र खुश मोहम्मद निवासी कांकीनाडा जिला पश्चिम बंगाल, 35 अहम्मद पुत्र मोहम्मद दलाई निवासी दरगाह बाजार सरवाड अजमेर, 36 शरफराज पुत्र मुमताज निवासी दरगाह बाजार सरवाड निवासी अजमेर, 37 रफीख पुत्र जलील निवासी सरवाड, 38 शेख ईब्राहीन पुत्र अहमद हुसैन निवासी पीरु कलीयार हरिद्वार, 39 राजेश राव पुत्र प्रसाद राव निवासी हरिद्वार , 40 नक्सेअल्ली पुत्र अकसर अली दरगाह बाजार सरवाड, 41 नदीम पुत्र नईम निवासी दरगाह बाजार सरवाड , 42 सोहेब पुत्र मुस्तफा दरगाह बाजार सरवाड, 43 मोहम्मद ईरसाद पुत्र नुरहस्न निवासी सारनपुर युपी, 44 प्रीतम पुत्र श्याम लाल जाति हरिजन निवासी सिविल लाईन अजमेर, 45 मंसुर शाह पुत्र अब्दुल रहमान निवासी दरगाह सरवाड जिला अजमेर , 46 तारीख हुसैन पुत्र पप्पुखां जाति मुस्लमान निवासी शाहजहा पुर युपी, 47 मोहम्मद हारुन पुत्र चन्द्रखां निवासी मामुसाहब दरगाह सरवाड 48 हिदायतुल्ला पुत्र जहरुद्दीन निवासी हरिद्वार, 49 अकरम शाबरी पुत्र आजमहुसैन निवासी कपासन जिला चित्तोड , 50 शैख हनीफ पुत्र शाबीरुद्दीन निवासी मदीनपुर वैस्ट बंगाल, 51 मोहम्मद मुशरफ पुत्र खुशीद हुसैन निवासी सरवाड जिला अजमेर, 52 मलीक ईकबाल पुत्र हनीफ मलीक इकबाल निवासी नागपुर महाराष्ट्र, 53 कलाम शेख पुत्र दाउद शेख निवासी कलकत्ता, 54 मोहम्मद इब्राहिम पुत्र साहुल हमीद निवासी दरगाह सरवाड जिला अजमेर , 55 मुस्ताक इब्राहिम पुत्र इब्राहिम निवासी सुसुडी मुम्बई, 56 मोहम्मद शाकीर पुत्र हसन अली निवासी सलमपुर दिल्ली, 57 नसीम अहम्मद पुत्र मुख्तयार अहमद निवासी अलीगढ युपी, 58 शायराम पुत्र



सुर्या जाति कपुर निवासी नलगोंडा आन्ध्रप्रदेश, 59 चन्द्रकान्त पुत्र लक्ष्मण गोखले निवासी बेलगाम महाराष्ट्र, 60 मोहम्मद इम्तीयाज पुत्र मोहम्मद इलीयास निवासी बकखत पुर , 61 हसमाकुनील पुत्र अब्दुला हज निवासी कासनपुर केरल , 62 शेख बक्स पुत्र शेख बसीर निवासी नागपुर, 63 शेख महबुब पुत्र शेख मकसुद निवासी जालोन युपी, 64 रघुवीर पुत्र किशना जाति नायक उम्र 27 साल निवासी सोकलिया थाना सरवाड जिला अजमेर 65 कुलदीप पुत्र शिवराज जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी गोयला थाना सरवाड जिला अजमेर 66 श्री रामनिवास पुत्र श्री माधु जाति बागरिया उम्र 45 साल निवासी मानपुर , 67 श्री रामराज पुत्र श्री नन्दा जाति बागरिया उम्र 35 साल निवासी हिगोनिया थाना सरवाड जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार किया गया ।